सवालों और संदेहों के घेरे में है सीजेआई यौन उत्पीड़न कमेटी

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट

जनज्वार। 259 से अधिक महिलाओं, जिनमें वकील, विद्वान, महिला समूहों और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं, ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एन वी रमाना और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की समिति के गठन पर गम्भीर सवाल उठाया है। कहा है कि जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम), निषेध, और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है।

गौरतलब है कि जब यौन उत्पीड़न की शिकायत किसी संस्थान के मालिक के ख़िलाफ़ हो तो 'सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ़ वुमेन ऐट वर्कप्लेस (प्रिवेन्शन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) ऐक्ट 2013' के मुताबिक़ उसकी सुनवाई संस्थान के अंदर बनी 'इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी' की जगह ज़िला स्तर पर बनाई जाने वाली 'लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी' को दी जाती है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम पद पर हैं, इसीलिए पीडित महिला ने ही जांच कमेटी में रिटायर्ड जजों की मांग की थी।

तीन जजों की इस कमेटी में वरिष्ठता की हैसियत से मुख्य न्यायाधीश के ठीक बाद आने वाले जस्टिस बोबड़े और जस्टिस रमना हैं। साथ ही एक महिला जज, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी हैं। ये सभी जज मुख्य न्यायाधीश से जूनियर हैं। क़ानूनी प्रावधान के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए बनी 'इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी' की अध्यक्षता वरिष्ठ पद पर काम कर रहीं एक महिला को करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की बनाई विशेष कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस बोबड़े हैं और उन्हें ये काम मुख्य न्यायाधीश ने ही सौंपा है।

विशेष जांच समिति को आईसी के मानदंडों का पालन करे और तदनुसार इसकी जांच करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जाँच पूरी होने तक अपने आधिकारिक कामकाज और जिम्मेदारियों से दूर रहें। शिकायतकर्ता को उसकी पसंद के वकील से कानूनी सहायता की अनुमति दी जाय तथा कानून के प्रावधान के अनुसार जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाय।

क़ानूनी प्रावधान के अनुसार जांच के लिए बनाई गई 'इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी' की कुल सदस्यों में कम से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान कमेटी के तीन सदस्यों में केवल एक महिला हैं।

क़ानूनी प्रावधान के अनुसार जांच के लिए बनी कमेटी में एक सदस्य औरतों के लिए काम कर रही ग़ैर-सरकारी संस्था से होनी चाहिए। ये प्रावधान कमेटी में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि को लाने के लिए रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ़ आरोप की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में कोई स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी कल शुक्रवार 26 अप्रैल से यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई शुरू करेगी।

न्यायाधीशों को भेजे गए पत्र में उन्होंने पीड़ित को सुनवाई का मौका बिना दिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा महिला की शिकायत को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को धूमिल करने का प्रयास कहने पर भी आपत्ति व्यक्त की है। किसी भी बाहरी सदस्य के बिना जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम)निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है।

पत्र में कहा गया है कि आरोपों से इंकार, शिकायतकर्ता को बदनाम करना, पिछले कारनामों का हवाला देते हुए, शिकायतकर्ता पर कुत्सित इरादों का आरोप अक्सर आरोपी पुरुष अपने को पाक साफ दिखने के लिए लगाते हैं। आमतौर पर पीड़िता के विरुद्ध प्रशासनिक उत्पीड़न, मानहानि के मुकदमे किये जाते हैं। न केवल मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय ने अपने व्यवहार से एक गलत उदाहरण पेश किया है, बल्कि वे महिला के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गलत साबित करने में एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि आरोप स्वयं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को धूमिल करने का एक प्रयास है।

पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस बयान की भी कड़ी आलोचना की गयी है जिसमें यौन उत्पीडन की शिकायत को न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि हम इस बात से हैरान हैं कि विधिवत जांच या पूछताछ के अभाव में बीसीआई, कतिपय वकील और न्यायाधीश इतनी जल्दबाजी में कैसे यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि शिकायत झूठी, निराधार और जान बूझकर की गयी है।

259 से अधिक महिलाओं, जिनमें वकील, विद्वान, महिला समूहों और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं, ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को एक विशेष जांच समिति के गठन के लिए लिखा पत्र है, जिसमें विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ 90 दिनों के भीतर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की मांग शामिल है। यह भी मांग की गयी है कि जाँच होने तक मुख्य न्यायाधीश के स्तर पर यह मांग कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए।

शिकायत की भयावहता को ध्यान में रखते हुए माँग की गयी है कि विश्वसनीय व्यक्तियों की एक विशेष जांच समिति गठित की जय जो जल्द से जल्द पूरी जांच करें और पारदर्शिता और विश्वास का माहौल बनाये, ताकि शिकायतकर्ता अपना बयान दे सके।

व्यंग्य — मितरो आज मैं आपको बता रहा हूँ

मोदी को चुनाव में हराने की साजिशें भारत में ही नहीं,विदेशों में भी चल रही हैं।इसके तार पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जब देश में चुनाव चल रहे हैं,तब अमेरिका की 'टाइम' पत्रिका को दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों की सूची में मोदी का नाम शामिल नहीं करना चाहिए था? क्या वह इस काबिल नहीं है? वह नहीं है तो फिर आप बताइए इस देश में और इस पूरे उपमहाद्वीप में मुकेश- अनिल अंबानी ब्रदर्स और मोदी के अलावा कौन है? 'टाइम' पत्रिका ने देश के हिंदुओं के साथ यह जो भद्दा मजाक किया है, यह जो अन्याय किया है, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हो सकते हैं कभी? 130 करोड़ भारतीयों का नेता,आपका चौकीदार गयाबीता है और पाकिस्तान का वो इमरान खान बहुत काबिल है,जिसे इस सूची में स्थान दिया गया है?

क्या इसमें आपको हमारे दुश्मनों की साजिश की गंध नहीं आतीऔर क्या हमारे दुश्मन देश के बाहर ही हैं,अंदर नहीं हैं? और मितरो,मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मगर आपको उनके नाम,उनके कारनामों के बारे में अच्छी तरह पता है।देश के लोग,भारत के हिंदू, यह सब देख रहे हैं,वे मूर्ख नहीं हैं। मोदी का नाम उस सूची में शामिल नहीं हो,इसके लिए क्या कोई इस हद तक भी नीचे गिर सकता है?क्या चुनाव जीतने के लिए किसी का इतना पतन हो सकता है?क्या मैंने कभी ऐसी ओछी राजनीति की? पिछले पाँच साल का रिकॉर्ड आपके सामने है।

मितरो, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह मोदी का ही नहीं, हिंदुओं का ही नहीं, पूरे देश,उसकी हिंदू संस्कृति,उसके विश्व गुरुत्व का अपमान है,यह 130 करोड़ सामान्य मानवी और 600 करोड़ मतदाताओं का अपमान है। मोदी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकता है, उसे इसकी आदत पड़ चुकी है।देश की चौकीदारी करने की यह कीमत वह चुका सकता है मगर अपने होते, देश का अपमान नहीं होने दे सकता।

मुझे पिछड़ा होने के कारण पिछले पाँच साल में बहुत अपमानित किया गया है मगर मैं चुप रहा पर अब चुप नहीं रहूँगा।मोदी देश के लिए कुर्बानी देनेवालों में से है,उसका अपमान सहने - और करनेवालों में नहीं हैं। मोदी देश के शहीदों के नाम पर पहला वोट माँग

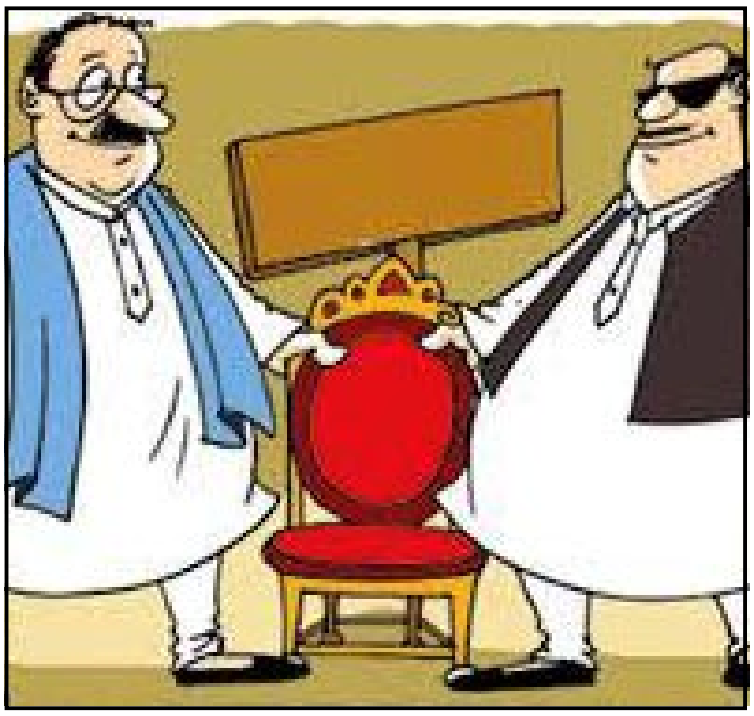

सकता है तो देश के लिए बिना सीमा पर जाए,शहीद होने का जज्बा भी रखता है। वह महामिलावटी गठबंधन का नहीं, सौ परसेंट,24 केरेट शुद्ध गठबंधन का सिपाही है।

तो मितरो, क्या हमें देश का इस तरह अपमान बर्दाश्त करना चाहिए? क्या इसे मोदी का अपमान मानकर चुप रह जाना चाहिए? क्या हमें अमेरिका में घुसकर 'टाइम' पत्रिका के कार्यालय पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? मैं करनेवाला नहीं लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मोदी को कमजोर समझो,भारत को कमजोर मत समझो,हम घुसकर मारनेवालों में हैं। महामिलावटी गठबंधन के नेता कहेंगे कि हमें इस बात का सबूत चाहिए कि 'टाइम' कार्यालय पर वाकई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसे नुकसान पहुंचा है।इन्हें हर बात का सबूत चाहिए।बगैर सबूत के ये मानते नहीं।

सेना पर,मोदी की सेना पर इन्हें विश्वास नहीं। मोदी ने राफेल सौदा सस्ते में किया है या महंगे में, इसका सबूत इन्हें चाहिए। इन्हें इसका सबूत चाहिए, कारण चाहिए कि इसका ठेका अनिल अंबानी को क्यों दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल से क्यों छीना गया? इन्हें इसका भी सबूत चाहिए कि चौकीदार चोर नहीं है। देश के इस सपूत से इन्हें हर बात का सबूत चाहिए। नोटबंदी से सारा कालाधन सरकारी खजाने में लौटा है,इसका इन्हें सबूत चाहिए।

कहते हैं 99 फीसदी पैसा तो वापिस लौट आया,मोदी जी कालाधन कहाँ खत्म हुआ? और चुनाव में कालेधन के खेल का मुख्य खिलाड़ी कौन है? इन्हें हर बात का सबूत चाहिए। इन्हें मोदी के दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास होने और गुजरात यूनिवर्सिटी से एम ए पास होने का सबूत चाहिए।सबूत दो तो कहते हैं,जब आपने कथित रूप से बीए पास किया था,तब तो कंप्यूटर से मार्कशीट बनती नहीं थी- इस देश में, तो मोदी जी,आपकी कैसे बन गई? इन्हें मालूम नहीं मगर विश्व विद्यालय वाले तब से जानते थे कि मोदी आगे जाकर प्रधानमंत्री बननेवाला है तो उन्होंने स्पेशली अमेरिका से मेरी मार्कशीट बनवाकर मुझे भेंट की थी और मेरी बात कान खोलकर सुन लो,मोदी को सबूत देने की नहीं,सबूत माँगने की आदत है। सबूत वे देते हैं,जिनके पास सबूत हो,हम नहीं देते।

तो मित्रो हमें बहुत से बदले लेने हैं अभी। आपका, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो हम सबसे बदला लेकर दिखाएंगे। मुझे पाँच साल और मौका दो, मैं सबको-आपको भी- ठिकाने लगाकर दिखा दूँगा। वोट फार मोदी।

क्योंकि भाजपा की हार में ही भारत की जीत है

हिमांशु कुमार

भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा भारती ने कहा है कि पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे मेरे श्राप से मरे

हेमंत करकरे पकिस्तान से आये हुए आतंकवादियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तभी वे मारे गये

तो पाकिस्तानी आतंकवादी भी चाहते थे कि हमारा मुकाबला करने वाला यह पुलिस अधिकारी मारा जाय

और भारतीय हिंदुत्व की आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर भी चाहती थी कि यह पुलिस अधिकारी मारा जाय है ना आश्चर्य की बात ?

कि पाकिस्तानी आतंकवादी और भारतीय आतंकवादी दोनों ही बहादुर और ईमानदार पुलिस अधिकारी की मौत चाहते हैं

मोदी जी बिल्कुल सच कहते हैं

कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है

हमारा आतंकवादी और तुम्हारा आतंकवादी कुछ नहीं होता

हांलाकि मोदी जी यह बात पकिस्तान को उपदेश में कह रहे थे

मोदी जी ने खुद ही एक आतंकवादी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना कर बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी की बातें फर्जी जुमले ही थे

प्रज्ञा ठाकुर को इसलिए उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि उसने मुसलमानों को मारा था मतलब कोई मुसलमान अगर हिन्दुओं को मारे तो वो तो आतंकवादी होता है

लेकिन जब कोई हिन्दू व्यक्ति मुसलमानों को मारता है तो वह देशभक्त होता है

यही दो मुहां पन भारत के संविधान में नहीं है

भारत का संविधान हर आतंकवादी हरकत को आतंकवाद कहता है

चाहे उसे हिन्दू करे या मुसलमान करे

इसीलिये संघी कभी भी इस संविधान को पसंद नहीं करते

और संविधान को बदलने की बात करते हैं

संघ का राष्ट्रभक्ति तय करने का तरीका क्या है ?

गोडसे ने कहा कि मैं देशभक्त और सच्चा हिन्दू हूँ

और गांधी हिन्दुओं का दुश्मन है

तो गोडसे ने पिस्तौल से गांधी को गोली मार दी

संघी चाहते हैं कि अगर किसी संघी को लगे कि कोई नागरिक राष्ट्रभक्त नहीं है

तो वह उसे गोली से उड़ा सकता है

और संघी चाहते हैं कि ऐसे हत्यारे को देश भर के हिन्दू अपना नेता और धर्म रक्षक मानें

इसलिए संघी फिर से एक हत्यारी महिला को अपनी पार्टी का नेता बनाने में लगे हुए हैं इसे धर्म आधारित राजनीति कहा जाता है

पाकिस्तान यही राजनीति करने के चक्कर में बर्बाद हो गया था

अब पाकिस्तान के युवा इस कट्टरपंथ से बाहर निकल रहे हैं

आपको याद होगा भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनन्दन को वापस भेजने के लिए पाकिस्तान के युवा सड़कों पर उतर आये थे

लेकिन शर्म की बात यह है कि भारत ने उसी दिन एक पाकिस्तानी की लाश पाकिस्तान को दी

उस पाकिस्तानी नागरिक को भारत की जेल में पीट-पीट कर मार डाला गया था

तो पाकिस्तान हमारे बंदे को जिंदा वापस कर रहा है और हम बदले में उनके बंदे को मार कर लाश सौंप रहे हैं

कौन ज्यादा सभ्य साबित हुआ ?

धर्म में एक शब्द है विपरीत भक्ति

इसमें अपने शत्रु के बारे में हम इतना अधिक सोचते हैं कि अपने शत्रु जैसे ही बन जाते हैं भाजपा और संघ ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई कि अपने भक्तों को पाकिस्तान जैसा कट्टर बना लिया

और पाकिस्तान ने खुद को उदार बना लिया

खैर बात इतनी छोटी सी और सीधी भी नहीं है

भाजपा का पूरा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का उग्र आतंकवाद असल में पूंजीपतियों की सेवा और पूंजीवाद के खिलाफ आवा? उठाने वालों को कुचलना है

इसीलिए भाजपा मुसलमानों के खिलाफ माहौल तो बनाती है लेकिन जेल में सुधा भारद्वाज बिनायक सेन और सोनी सोरी को डालती है

और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमें बना देती है ताकि हम सब छत्तीसगढ़ में पूंजीपतियों के लिए जमीन हड़पने का विरोध ना कर सकें

भाजपा के असली चेहरे इनकी असली मंशा को पहचान लीजिये

यह आपके धर्म और देश को प्यार नहीं करते

यह देश और धर्म का नाम लेकर पूंजीपतियों अदानी अम्बानी के लिए काम करते हैं

भाजपा की हार में ही भारत की जीत है

(हिमांशु कुमार गांधीवादी कार्यकर्ता हैं और आजकल हिमाचल प्रदेश में रहते हैं।)